

26/11/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी रूप
अप्रार्थीगण के सम्मन वामिल सुदा प्राप्त
हुए कोई उपस्थित नहीं। बार-बार मार्ग
लगाई गई। इसके उपरान्त भी कोई
हाजिर नहीं हुई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध

एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।
बहरस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण का

प्रार्थना - पत्र बूझकार किया जाना
उचित प्रतीत होता है। अतः उभय
पक्षकारान को अस्थाई निषेधाघा से
इस कदर पाबंद किया जाता है कि

वे कदग्रस्त भूमि तहसील ओसिया
के राजश्व ग्राम पंडितजी की दाली
के ख-न-569/1 खता 1 बीघा 10 बिस्वा
भूमि में प्रार्थी के कब्जे में कोई

दखल दाजी नहीं वाफैसला दावा नहीं करें। मौके व
कई की स्यासिती कार स्यासिती कार स्यासिती कार
नाम्बर से काम को जाकर दायल
दाखल हो।

आयक कलियार. धोपिन

